[2020] 3 एस. सी. आर 1115

ए.

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस।

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1099) 02 मार्च, 2020

बी.

[एन**.** वी**.** रमना**,** संजय किशन कौल**,**

आर**.** सुभाष रेड्डी**,** बी**.** आर**.** गवई और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-Art.370-5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा यू/Art.370 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दो संविधान आदेश जारी किए गए, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया-आदेशों को चुनौती दी-शुरुआत में उठाए गए तर्क कि वर्तमान मामले को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रेम में दो अलग-अलग संविधान पीठों द्वारा विपरीत राय है।

सी.

डी.

नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ने [1959] पूरक के रूप में रिपोर्ट किया।एस. सी. आर. 270 और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ने रिपोर्ट किया

के रूप में [1970] एस. सी. आर. 365 Art.370 की व्याख्या पर और यह कि संपत प्रकाश इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि यह प्रेम नाथ कौल पर विचार नहीं करता है-वर्तमान आदेश संदर्भ के प्रारंभिक मुद्दे तक ही सीमित है-गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया कोई मुद्दा-आयोजित किया गया:एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया निर्णय समान या कम ताकत वाली बाद की पीठों पर बाध्यकारी है-हालांकि, फैसलों की व्याख्या उनके तथ्यों, संदर्भ से अलग, शून्य में नहीं की जा सकती है-प्रेम नाथ कौल में, अदालत को जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के निर्माण से पहले, लेकिन भारत के संविधान के लागू होने के बाद, मध्यावधि के दौरान पारित एक विशेष अधिनियम को पारित करने में युवराज की विधायी क्षमता का निर्धारण करना था-जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा के फैसले को दिए गए महत्व के बारे में की गई टिप्पणियों को इन तथ्यों के आलोक में पढ़ने की आवश्यकता है-यह संकेत दिया गया था कि संविधान सभा का निर्णय यू/Art.370 (2) अंतिम था-इस अंतिमता को इस प्रकार पढ़ना होगा

ई.

एफ.

जी.

एच.

1115 ए.

– यह मुद्दा अदालत के समक्ष विचाराधीन नहीं था, संपत प्रकाश मामले के विपरीत जहां अदालत द्वारा विशेष रूप से तर्क दिया गया था और इसका खंडन किया गया था-प्रति इनक्यूरियम का नियम पूर्ववर्ती सिद्धांत के लिए एक अपवाद होने के नाते केवल फैसले के अनुपात पर लागू होता है-संपत प्रकाश मामले में इसके विपरीत कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

प्रेम नाथ कौल-संपत प्रकाश का मामला आकस्मिक नहीं है-नहीं

बी.

प्रेम नाथ कौल और संपत प्रकाश के बीच संघर्ष-इन याचिकाओं को विचार किए गए प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं है-पूर्ववर्ती और टकटकी निर्णय का सिद्धांत।

अभ्यास और प्रक्रिया-पूर्ववर्तियों का सिद्धांत-प्रति इनक्यूरियम का नियम, एक अपवाद-की प्रयोज्यता-आयोजितःप्रति इनक्यूरियम के नियम को न्यायिक पूर्ववर्ती के सिद्धांत के अपवाद के रूप में विकसित किया गया है-शाब्दिक रूप से, इसका अर्थ है किसी प्रासंगिक क़ानून या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में पारित निर्णय-प्रति इनक्यूरियम का नियम केवल निर्णय के अनुपात पर लागू होता है-भारत का संविधान-Art.370।

सी.

डी.

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"अनुपात निर्णय"; "आज्ञाकारी उक्ति"-जिसका अर्थ है-चर्चा की गई-भारत का संविधान-Art.370।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** पूर्ववर्ती सिद्धांत और टकटकी निर्णय कानूनी प्रणाली के मूल मूल्य हैं।वे ऐसे उपकरण बनाते हैं जो कानूनी प्रणाली में निश्चितता, स्थिरता और निरंतरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं।तर्कसंगत रूप से, न्यायाधीशों को कानून की निश्चितता की अवधारणा के प्रति कर्तव्य देना पड़ता है, इसलिए वे अक्सर कानून के साबित सिद्धांतों पर भरोसा करके अपनी

हिस्सेदारी को सही ठहराते हैं।जब इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो यह एक निर्भरता ब्याज प्राप्त करता है और समाज वर्तमान कानूनी आदेश के आधार पर खुद को व्यवस्थित करता है।जब संदर्भों पर पर्याप्त न्यायिक समय और संसाधन खर्च किए जाते हैं, तो इसे आकस्मिक या बेपरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।यह केवल तभी होगा जब किसी प्रस्ताव का उसी शक्ति की पीठ द्वारा बाद के निर्णय द्वारा खंडन किया जाता है, या यह दिखाया जाता है कि निर्धारित प्रस्ताव अव्यवहारिक हो गया है या एक सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत हो गया है, तो एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया जाएगा।**[**पारस **18,19] [1129-**बी**-**डी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.2 इस न्यायालय के निर्णय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:अनुपात निर्णय और आज्ञाकारी उक्ति।अनुपात मूल ए है

एच.

1117

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

निर्णय का सार, और उसी को मामले के प्रासंगिक तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। **[**अनुच्छेद **25] [1131-**एफ**. जी.] 1.3** निर्णयों की व्याख्या उनके तथ्यों और संदर्भ से अलग, निर्वात में नहीं की जा सकती है।किसी निर्णय में किए गए अवलोकनों को एक विशेष अर्थ देने के लिए चुनिंदा रूप से नहीं चुना जा सकता है।प्रेम नाथ कौल मामले में न्यायालय को एक विशेष अधिनियम पारित करने में युवराज की विधायी क्षमता निर्धारित करनी थी। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के निर्माण से पहले, मध्यावधि के दौरान पारित किया गया था, लेकिन भारत के संविधान के लागू होने के बाद।जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा के निर्णय को दिए गए महत्व के बारे में इस मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को इन तथ्यों के आलोक में पढ़ने की आवश्यकता है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद **370 (2)** की रूपरेखा ऐसी थी कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो एक निर्वाचित निकाय नहीं था, बल्कि राज्य के महाराजा द्वारा लिया गया था, जो राज्य की संविधान सभा की बैठक से पहले **5** मार्च, **1948** की महाराजा की घोषणा के आधार पर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा था, संविधान के अनुच्छेद **370 (2)** के तहत प्रदान किए गए निर्णय के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा जाना था। इसके लिए तर्क स्पष्ट है, क्योंकि संविधान सभा का कार्य भारत संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों के दायरे और दायरे को और स्पष्ट करना था, जिस पर

अनुच्छेद **370** के तहत परिभाषित राज्य सरकार ने संविधान सभा के आयोजन से पहले ही कुछ निर्णय ले लिए होंगे**,** जिससे संविधान सभा अंततः सहमत नहीं होगी।इसलिए**,** प्रेम नाथ कौल के मामले में अदालत ने संकेत दिया कि अनुच्छेद **370 (2)** के तहत संविधान सभा का निर्णय अंतिम था।इस अंतिमता को अनुच्छेद **370 (2)** की भाषा के अनुरूप**,** राज्य की संविधान सभा के आयोजन से पहले अनुच्छेद **370** के तहत राज्य सरकार द्वारा लिए गए उन निर्णयों तक सीमित होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।प्रेम नाथ कौल मामले में संविधान पीठ ने राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद **370** के संचालन को जारी रखने या बंद करने पर चर्चा नहीं की।यह कोई मुद्दा नहीं था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1118 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एस. सी. आर.

ए.

अदालत के समक्ष प्रश्न**,** संपत प्रकाश मामले के विपरीत जहां विवाद विशेष रूप से पहले किया गया था**,** और अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था।यह न्यायालय प्रेम नाथ कौल मामले में एक ऐसी व्याख्या को पढ़ने का कोई कारण नहीं देखता है जिसके परिणामस्वरूप यह इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के साथ टकराव में हो**,** विशेष रूप से जब निर्णय के एक सामान्य अध्ययन के परिणामस्वरूप ऐसी व्याख्या नहीं होती है।इस प्रकार**,** प्रेम नाथ कौल मामले और संपत प्रकाश मामले के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है।इसलिए इस आधार पर वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी जाती है।**[**पारस **42-45] [1141-G-H; 1142-A-H; 1143-A]**

बी.

सी.

1.4 प्रति इनक्यूरियम का नियम पूर्ववर्ती के सिद्धांत के लिए एक अपवाद होने के कारण केवल निर्णय के अनुपात पर लागू होता है।जब दो समन्वित पीठों की राय के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है**,** तो कानूनी उदाहरणों की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले उसी को संयम से लागू किया जाना चाहिए।हालाँकि**,** संपत प्रकाश मामले में प्रेम नाथ कौल के

मामले के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं की गई है, तदनुसार, संपत प्रकाश का मामला आकस्मिक नहीं है।इन याचिकाओं को विचार किए गए प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं दिखता है।**[**पारस **46,47] [1143-**बी**-**डी**]**

डी.

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) 2 एससीसी 602:[1988] 1 पूरक।एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

ई.

चंद्र प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2002) 4** एस**.** सी**.** सी**. 234:[2002] 2** एस**.** सी**.** आर**. 913;** राष्ट्रीय बीमा कंपनी

लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13

एससीआर **100;** भारत संघ बनाम धनवंती देवी **(1996) 6**

एफ.

एससीसी 44:[1996] 5 पूरक।एससीआर 32; संदीप कुमार

बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2014) 16** एस**.** सी**.** सी**. 623:[2014] 4** एस**.** सी**.** आर**. 486;** पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम।लिमिटेड वी**.**पीठासीन अधिकारी**,** श्रम

न्यायालय, चंडीगढ़ (1990) 3 एस. सी. सी. 682:[1990] 3 एस. सी. आर. 111-पर निर्भर।

जी.

संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

1970 एससी **1118:[1970]** एस**.** सी**.** आर**. 365-**प्रति आयोजित नहीं

इनक्यूरियम।

एच.

1119

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

ए.

प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

1959 एससी 749:[1959] पूरक।एस. सी. आर. 270; मो.

मकबूल दमनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

(1972) 1 एससीसी 536:[1972] 2 एस. सी. आर. 1014; भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एस. सी. सी. 538:[2016] 9 एस. सी. आर. 985-संदर्भित।

बी.

स्ट्रीट ट्रामवेज बनाम लंदन काउंटी काउंसिल **[1898]** ए**.** सी**. 375;** रैडक्लिफ बनाम रिबेल मोटर सर्विस लिमिटेड **[1939]** ए**.** सी**. 215;** एक्स पार्टी ब्रिस्बेन ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड **(**नं**. 1)**

[1914] 18 सी. एल. आर. 54; क्विन बनाम लीथम 1901 एसी 495

(एच**.** एल**.);** यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड **1944 KB**

सी.

718 (सी**.** ए**.)-**संदर्भित।

कांग्रेसनल रिकॉर्ड**-**सीनेट**, Vol.156,** पं**. 7,10018 (**जून **7,2010);** न्यायशास्त्र पर सैल्मंड **(**पी**.** जे**.**

फिट्जगेराल्ड एड।, 12 टी एडन। 1966),p.147; हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड 3rd संस्करण।, Vol.22, पैरा 1687, पीपी।799- 800 – संदर्भित किया गया।

डी.

मामला कानून संदर्भ

[1959] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 270** संदर्भित

पैरा **8 [1970]** एस**.** सी**.** आर**. 365** इनक्यूरियम पैरा **8 [1972] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1014** के अनुसार नहीं

ई.

पैरा **10**

[2016] 9 एससीआर **985**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

पैरा **19**

[2002] 2 एससीआर **913**

उस पर भरोसा करें

[2017] 13 एससीआर **100**

उस पर भरोसा करें

पैरा **23**

एफ.

[1996] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 32** पर निर्भर

पैरा **25**

[1988] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1** का अनुसरण किया गया

पैरा **29**

[2014] 4 एससीआर **486**

उस पर भरोसा करें

पैरा **31**

[1990] 3 एससीआर **111**

उस पर भरोसा करें

पैरा **32**

जी.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1099।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

एच.

1120

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 3 एस सी आर।

ए.

रिट याचिका (सी) 2017 की संख्या 396,756,2018 की संख्या 398,924,1092,1162,1013,1082,1048,1068,1037,1062,1070,1104,

1165,1210,1222,1268,1368 2019 की, एस. एल. पी. (सी) 2017 की संख्या 19618।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., तुषार मेहता, एस. जी., विक्रमजीत बनर्जी, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., डी. सी. रैना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ए. जी., डॉ. राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, शेखर नाफड़े, प्रशांत सेन, रंजीत कुमार, रवींद्र रायजादा, सी. यू. सिंह, संजय पारिख, पी. चिदंबरम, जयदीप गुप्ता, पुरुषेंद्र कौरव, गोपाल शंकरनारायणन, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, जेड. ए. शाह, आर. के. रायजादा, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, सुलभ रेवाड़ी, आदित्य चटर्जी, सुश्री अरुणिमा केडिया, अमृतांशु दास, के. के. मोहन, प्रतीक द्विवेदी, कृष्णम मिश्रा, यशर्थ कांत, निशांत सिंह, बरुण कुमार सिन्हा, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, अनिल कुमार, राकेश मुद्गल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, विष्णु शंकर जैन, अनिल कुमार झा, सुश्री विजया लक्ष्मी झा, सुश्री ज्योति कुमारी, सुश्री नित्या रामकृष्णन, शंकर नारायण, प्रसन्ना एस., शादन फरासत, सुश्री मालविका प्रसाद, जया वर्धन सिंह, सुश्री जहानवी सिंधु, सुश्री श्रुति नारायण, गौतम भाटिया, आकाश कामरा, बिमल रॉय जाड, एन.इरशाद हनीफ, तुषार गुप्ता, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, बिनेश के., अश्विनी कुमार सिंह, सुश्री शिल्पा सिंह, त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिल्लौरिया, अतुल वाडेरा, परवीन कुमार, विजय प्रताप सिंह, विवेकानंद सिंह, नितीश शेखर, कानू अग्रवाल, अंकुर तलवार, रजत नायर, सिद्धार्थ सिन्हा, प्रशांत रावत, आयुष, सुश्री श्रुति अग्रवाल, ए. के. शर्मा, बिमल रॉय जाड, एम. शोएब आलम, देबाशीष मिश्रा, मोहित चौधरी, चौधरी जुल्फिकार अली, सुश्री पूजा शर्मा, कुणाल सचदेवा, इमरान अली, परवीन कुमार, सुश्री।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1121

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस।भारत का संघ और ए. एन. आर.

अब्दुल रहमान, मो.शाज खान, सुहैल मलिक, नीरज श्रीवास्तव, आशुतोष शर्मा, मंजू जेटली, एम. जे. पॉल, अशोक माथुर, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री शशि जुनेजा,

सत्यजीत कुमार, अनुपम रैना, सुनंदो राहा, सुश्री रेस्मिथा आर. चंद्रन, सावन कुमार शुक्ला, सुभाष के. आर. चंद्रन, उमर फारूक, आदिल मुनीर अंद्राबी, चरणजीत चंद्रपाल, अनिल कुमार, बरुण कुमार सिन्हा, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, राकेश मुद्दगल, बी. के. सतीजा, अभिजीत शाह, ओमप्रकाश अजीत सिंह परिहार, डॉ. निशेष शर्मा, सुश्री हर।उपस्थित दलों के लिए।मनोहर लाल शर्मा, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

बी.

सी.

डी.

ई.

शाकिर शब्बीर, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थ

एफ.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

या **DER**

1. ये मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए दो संविधान आदेशों के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती से संबंधित हैं।

जी.

2. शुरुआत में, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। (ग) नं. 1013/19 और डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता। (ग) 1368/19 ने यह तर्क दिया कि वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है क्योंकि दो अलग-अलग लोगों की विपरीत राय थी।

एच.

ए.

संविधान की पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 की व्याख्या पर आधारित है।यह आदेश इस सीमित प्रारंभिक मुद्दे तक सीमित है कि क्या मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।हमने विवाद के गुण-दोष पर किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं किया है।

3. इस आदेश के लिए संदर्भ निर्धारित करने के लिए इस मुद्दे का एक संक्षिप्त परिचय यह है कि कश्मीर के दिवंगत महाराजा द्वारा भारतीय राज्य के साथ विलय की संधि करने के बाद, अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

बी.

370. जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान

सी.

(1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद**, -**

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 238 के प्रावधान लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति इन तक सीमित होगी -

डी.

((i) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे मामले जो राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं कि वे भारत अधिराज्य में राज्य के विलय को नियंत्रित करने वाले विलय पत्र में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप हैं, जिनके संबंध में अधिराज्य विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बना सकता है; और

ई.

((ख) उक्त सूचियों में ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण [1950 शब्दांकन]:इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो महाराजा की पांचवें दिन मार्च, 1948 की घोषणा के तहत मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।

एफ.

जी.

स्पष्टीकरण [1952 शब्दांकन]:इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है उस व्यक्ति को जिसे राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत (अब राज्यपाल) के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो उस समय कार्यालय में राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।

एच.

ए.

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के प्रावधान उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य प्रावधान उस राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेः

बी.

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट राज्य के विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित हो, राज्य सरकार के परामर्श के अलावा जारी नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हो, उस सरकार की सहमति के अलावा जारी नहीं किया जाएगा।

सी.

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (ii) में या उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट राज्य सरकार की सहमति संविधान सभा के समक्ष राज्य का संविधान तैयार करने के उद्देश्य से बुलाई जाती है, तो उसे ऐसे निर्णय के लिए ऐसी सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले।

डी.

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा जो वह निर्दिष्ट करेः

ई.

बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

एफ.

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, यह अनुच्छेद संविधान में बना हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर इसे लागू किया गया है।

4. 20.12.2018 पर, जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे बाद में 03.7.2019 पर बढ़ाया गया था।

जी.

5. 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो संविधान आदेश जारी किए गए थे, जो सी. ओ. संख्या 272 और 273 थे, जो नीचे दिए गए हैं:

2019 का सी**.** ओ**. 272**

एच.

1124 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एस. सी. आर.

ए.

कानून और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग**)** अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

G.S.R.551 (E)।— राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

बी.

संविधान (जम्मू और कश्मीर को आवेदन) आदेश, 2019 सी. ओ. 272

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

सी.

1. (1) इस आदेश को संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 कहा जा सकता है।

(2) यह तुरंत लागू हो जाएगा और इसके बाद समय-समय पर संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का स्थान ले लेगा।

डी.

2. समय-समय पर संशोधित संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों के अधीन वे इस प्रकार लागू होंगे, वे इस प्रकार होंगेः—

ई.

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः— “(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

एफ.

(क) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं;

(ख) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, का अर्थ जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

जी.

एच.

1125

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस. बनाम.भारत का संघ और ए. एन. आर.

(ग) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं।

और

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के परंतुक में, "खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा" पद को "राज्य की विधान सभा" पढ़ा जाएगा।”

बी.

2019 का सी**.** ओ**. 273** कानून और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग**)** अधिसूचना

सी.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

जी. एस. आर. 562 (ई)— राष्ट्रपति द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा को सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता हैः—

संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत घोषणा

डी.

सी. ओ. 273

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर, यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं कि 6 अगस्त, 2019 से, उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड निम्नलिखित को छोड़कर प्रभावी नहीं होंगे, जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा, अर्थात्ः—

ई.

“370. इस संविधान के सभी प्रावधान, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी भी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, भारत के क्षेत्र में कानून के बल वाले रीति-रिवाज या उपयोग, या अनुच्छेद 363 के तहत या अन्यथा परिकल्पित किसी अन्य साधन, संधि या समझौते में निहित किसी भी विपरीत चीज़ के बावजूद लागू होंगे।”6. इन संविधान आदेशों ने भारत के संविधान को भारत के अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया।

एफ.

जी.

एच.

ए.

7. उपरोक्त आदेशों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन ने इसकी वैधता पर तर्क दिया है।हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री दिनेश द्विवेदी और श्री संजय पारिख, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने एक बड़ी पीठ को संदर्भित

करने की मांग की।इसलिए, इस न्यायालय को प्रारंभिक प्रश्न के रूप में संदर्भ के मुद्दे को ध्यान में रखना आवश्यक है।

बी.

विवादात्मक बातें

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने संविधान सभा की बहसों पर भरोसा रखने और अनुच्छेद 370 की भाषा की व्याख्या करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर राज्य और भारत संघ के बीच एक अंतरिम व्यवस्था का प्रावधान करता है।यह जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा थी जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को किस प्रकार की सरकार अपनानी चाहिए, इस पर अंतिम निर्णय लिया।अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749 के मामले में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रकृति का था, लेकिन

सी.

डी.

संपत प्रकाश बनाम जम्मू राज्य का बाद का निर्णय और

कश्मीर, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1118 ने अनुच्छेद 370 को केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति को बारहमासी शक्ति देने वाले एक स्थायी प्रावधान के रूप में मान्यता देते हुए उपरोक्त स्थिति को उलट दिया।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस संघर्ष पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

ई.

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का संविधान बनाए जाने के बाद, इस न्यायालय द्वारा दिया गया पहला निर्णय प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था।इस न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को लागू करने के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य पर व्यापक रूप से चर्चा करने के बाद कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य और भारत संघ के बीच संवैधानिक संबंध अंततः राज्य की संविधान सभा द्वारा तय किए जाने चाहिए और इसलिए, इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए।

एफ.

जी.

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि, संपत प्रकाश (ऊपर) और मोहम्मद के बाद के मामले।मकबूल

दमनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1972) 1 एस. सी. सी. 536

प्रेम नाथ कौल (ऊपर) के पहले के फैसले पर विचार किया गया।इसके विपरीत, इस न्यायालय ने संपत प्रकाश (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि न तो संविधान सभा और न ही राष्ट्रपति ने कभी ऐसी कोई घोषणा की कि

एच.

1127

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

अनुच्छेद 370 का प्रभाव समाप्त हो गया है।इसके अलावा, उपरोक्त मामले में इस अदालत ने आगे कहा कि अनुच्छेद 368 के प्रावधान के आलोक में, अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में संवैधानिक संशोधनों को लागू करने के लिए समय-समय पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।इसलिए, उपरोक्त तंत्र के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था।11. इसके अलावा, मोहम्मद के मामले में।मकबूल दमनू (ऊपर), इस न्यायालय ने अनुच्छेद 370 की व्याख्या करते हुए प्रेम नाथ कौल (ऊपर) में दी गई व्याख्या को नजरअंदाज कर दिया।उपरोक्त मामले में यह भी तय नहीं किया गया कि जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू होने के बाद भी अनुच्छेद 370 जारी रह सकता है या नहीं।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत सहमति संविधान सभा द्वारा अनुसमर्थन के अधीन थी और इसलिए, संविधान सभा के विघटन पर, इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।12. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जफर शाह ने संदर्भ की आवश्यकता पर प्रस्तुत किया कि प्रेम नाथ कौल (ऊपर) और संपत प्रकाश (ऊपर) के उपरोक्त दो पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के बीच कोई सीधा टकराव नहीं है, हालांकि यदि यह माना जाता है कि प्रेम नाथ कौल (ऊपर) ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी घोषित किया है, तो संपत प्रकाश (ऊपर) के बाद के निर्णय के साथ टकराव मौजूद है।13. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि प्रेम नाथ कौल (ऊपर) और संपत प्रकाश (ऊपर) में निर्णयों के बीच असंगति के आधार पर चुनौती टिकाऊ नहीं है।निर्णयों को उनके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) का पहले का निर्णय युवराज की विधायी क्षमता के बारे में था और न्यायालय का कभी भी अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर निर्णय लेने का इरादा नहीं था।हालाँकि, इस न्यायालय ने पहली बार संपत प्रकाश (उपरोक्त) के मामले में राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों के जारी रहने के मुद्दे पर विचार किया।अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, उन्होंने बाद के निर्णय पर भरोसा किया

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एस. सी. सी. 538 जिसमें यह

जी.

न्यायालय ने पहले के फैसलों पर भरोसा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जम्मू और कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन है।

14. विद्वान महान्यायवादी ने विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत दलीलों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि एक समन्वित पीठ

एच.

ए.

मामूली विसंगतियों पर मामले को बड़ी पीठ को नहीं भेजा जा सकता है।बल्कि, पहले की समन्वित पीठ द्वारा दिए गए निर्णय हमेशा समान संख्या वाली बाद की पीठों के लिए बाध्यकारी होते हैं।हालाँकि, यदि बाद की पीठ समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त करती है, तो उसे एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

बी.

15. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन। (ग) 2019 की सं. 1165 ने संदर्भ का विरोध करते हुए कहा कि यह तर्क देना कानूनी रूप से मान्य नहीं है कि संपत प्रकाश (ऊपर) इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि इसने प्रेम नाथ कौल (ऊपर) के पहले के निर्णय पर विचार नहीं किया है क्योंकि निर्णयों का उनके संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए और इसलिए इसका सीमित अनुप्रयोग है।इसके अलावा, वर्तमान मामला कई अन्य मुद्दों से संबंधित है जिन पर पिछली पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन द्वारा की गई दलीलों का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू. सिंह, शेखर नाफादे और गोपाल शंकरनारायणन ने समर्थन किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णयों में कथित संघर्ष संदर्भ को अनिवार्य नहीं करता है।16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियों के आधार पर, कानून के निम्नलिखित प्रश्न जिन्हें यहां तैयार

किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।आई. किसी मामले को बड़ी पीठ को कब भेजा जा सकता है?

सी.

डी.

ii.क्या के कथित विरोधाभासी विचारों को देखते हुए वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है

ई.

यह न्यायालय प्रेम नाथ कौल मामले (ऊपर) और संपत प्रकाश मामले (ऊपर) में?

iii.क्या संपत प्रकाश मामला (ऊपर) इनक्यूरियम के अनुसार है

प्रेम में न्यायालय के निर्णय पर विचार नहीं करना

एफ.

नाथ कौल मामला (ऊपर)?

17. इस न्यायालय के न्यायशास्त्र से पता चला है कि आम तौर पर न्यायालय साबित उदाहरणों को तब तक खारिज नहीं करते जब तक कि इस तरह के विकास को अनिवार्य करने वाला कोई सामाजिक, संवैधानिक या आर्थिक परिवर्तन न हो।संख्या स्वयं संयम और उस मूल्य की बात करती है जिसे यह न्यायालय पूर्ववर्ती के सिद्धांत से जोड़ता है।यह न्यायालय पूर्ववर्ती के उपयोग को अपरिहार्य आधार मानता है जिस पर यह न्यायालय न्याय प्रदान करता है।इस तरह के उदाहरणों का उपयोग, कुछ हद तक, निश्चितता पैदा करता है जिस पर व्यक्ति भरोसा कर सकते हैं और अपने मामलों का संचालन कर सकते हैं।यह कानून के शासन के विकास के लिए एक आधार भी बनाता है।संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जॉन रॉबर्ट्स ने अपने सीनेट ए के दौरान अवलोकन किया

जी.

एच.

1129

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

पुष्टिकरण सुनवाई, "यह कानूनी प्रणाली के लिए एक झटका है जब आप एक मिसाल को खारिज करते हैं।पूर्ववर्ती स्थिरता और बराबरी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" 1

18. पूर्ववर्ती सिद्धांत और टकटकी निर्णय हमारी कानूनी प्रणाली के मूल मूल्य हैं।वे उपकरण बनाते हैं जो हमारी कानूनी प्रणाली में निश्चितता, स्थिरता और निरंतरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं।तर्कसंगत रूप से, न्यायाधीशों को कानून की निश्चितता की अवधारणा के प्रति कर्तव्य देना पड़ता है, इसलिए वे अक्सर कानून के साबित सिद्धांतों पर भरोसा करके अपनी हिस्सेदारी को सही ठहराते हैं।

बी.

19. जब इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो यह एक निर्भरता ब्याज प्राप्त करता है और समाज वर्तमान कानूनी आदेश के आधार पर खुद को व्यवस्थित करता है।जब संदर्भों पर पर्याप्त न्यायिक समय और संसाधन खर्च किए जाते हैं, तो इसे आकस्मिक या बेपरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।यह केवल तभी होगा जब किसी प्रस्ताव का उसी शक्ति की पीठ द्वारा बाद के निर्णय द्वारा खंडन किया जाता है, या यह दिखाया जाता है कि निर्धारित प्रस्ताव अव्यवहारिक हो गया है या एक सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत हो गया है, तो एक बड़ी पीठ को एक संदर्भ दिया जाएगा।इस संदर्भ में, एक पाँच -

सी.

डी.

चन्द्र प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

4 एस. सी. सी. 234 ने पहले के फैसले की श्रृंखला पर विचार करने के बाद दोहराया कि:“22. ... हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में बाध्यकारी मिसाल का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है।यह निश्चितता को बढ़ावा देता है।

और न्यायिक निर्णयों में निरंतरता।न्यायिक स्थिरता प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देती है, इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों में कानूनी सिद्धांतों के प्रतिपादन में एकरूपता की आवश्यकता है।”

ई.

(जोर दिया गया)

20. इस सिद्धांत के चरम छोर पर, हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उदाहरण है, जिसमें 1966 तक इसने कभी भी अपने निर्णयों को खारिज नहीं किया, बल्कि केवल उन्हें अलग किया।यह कहा गया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक गलत निर्णय को केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा सही किया जा सकता है (देखें

एफ.

स्ट्रीट ट्रामवेज बनाम लंदन काउंटी काउंसिल, [1898] ए. सी. 375 और रैडक्लिफ बनाम रिबेल मोटर सर्विस लिमिटेड, [1939] ए. सी. 215)।

21. 1966 के बाद ही, दबाव और प्रचलित सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंततः ओवररूल करने की शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया।तब से, दिशानिर्देशों का निरंतर विकास हुआ है जिन्होंने इस आधार को संशोधित किया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने पहले के फैसलों को कब रद्द कर सकता है।

जी.

1 कांग्रेसनल रिकॉर्ड-सीनेट, वॉल्यूम। 156, पं. 7, 10018 (जून 7,2010)

एच.

ए.

22. पूर्व पक्षीय ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रिफ़िथ की राय को उद्धृत करना आवश्यक हो सकता है।

ट्रामवेज कं. लिमिटेड (नं. 1), [1914] 18 सी. एल. आर 54:

"मेरी राय में, एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में यह बनाए रखना असंभव है कि न्यायालय या तो कानूनी रूप से या तकनीकी रूप से पिछले निर्णयों से बाध्य है।वास्तव में, एक उचित मामले में, उनकी उपेक्षा करना उसका कर्तव्य हो सकता है।लेकिन नियम को बहुत सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब पिछला निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हो, उदाहरण के लिए, यदि यह किसी निरस्त या समाप्त हो चुके क़ानून के जारी रहने की गलत धारणा पर आगे बढ़ता है, या किसी अन्य न्यायालय के निर्णय के विपरीत है जिसका यह न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य है; मुझे नहीं लगता कि, केवल एक सुझाव पर, कि बाद के न्यायालय के कुछ या सभी सदस्य एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं यदि मामला एकीकृत था।अन्यथा कानून की व्याख्या में निरंतरता की कमी का बड़ा खतरा होगा।"

बी.

सी.

डी.

इसी मामले में, बार्टन, जे. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:

" .....मैं कहूंगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस न्यायालय के लिए अच्छे कारण पर अपने पिछले फैसलों की समीक्षा करने के लिए खुला नहीं था।सवाल यह नहीं है कि क्या न्यायालय ऐसा कर सकता है, बल्कि यह है कि क्या वह न्यायिक निर्णय में निरंतरता और

निरंतरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेगा।नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन, मुझे लगता है, कभी भी समीक्षा के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता है। लेकिन न्यायालय हमेशा इस तर्क को सुन सकता है कि क्या उसे किसी विशेष निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए, और एक अतिनिर्णय का सबसे मजबूत कारण यह है कि एक निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और इसका जारी रहना जनहित के लिए हानिकारक है।

ई.

एफ.

23. यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या एक समन्वित पीठ का निर्णय बाद की समन्वित पीठों को बाध्य करता है।यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय समान या कम ताकत वाली बाद की पीठों पर बाध्यकारी हैं।राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एस. सी. सी. 680 में उपरोक्त दृष्टिकोण को पुष्ट किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

जी.

59.1.संतोष देवी [संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, (2012) 6 एस. सी. सी. 421 7] मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ को ए.

एच.

1131

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने की अच्छी तरह से सलाह दी गई है क्योंकि यह सरला वर्मा [सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी., (2009) 6 एस. सी. सी. 121] में बताए गए फैसले से अलग दृष्टिकोण ले रही थी।

एक समन्वय बेंच।ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही शक्ति की एक समन्वय पीठ दूसरे समन्वय पीठ द्वारा रखे गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकती है।

बी.

(जोर दिया गया)

24. एक समन्वय पीठ द्वारा पहले की मिसाल पर विचार न करने के प्रभाव को सैल्मंड 2 ने अपनी पुस्तक में निम्नलिखित तरीके से संक्षिप्त रूप से चित्रित किया हैः

सी.

...दूसरी ओर, एक मिसाल का पालन करने से इनकार करना समन्वय का कार्य है, न कि उच्च अधिकार क्षेत्र का।समान अधिकार वाले दो न्यायालयों के पास एक-दूसरे के निर्णयों को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है।

जहां केवल एक पूर्ववर्ती का पालन नहीं किया जाता है, परिणाम यह नहीं है कि बाद के प्राधिकरण को पहले वाले के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, बल्कि यह है कि दोनों एक-दूसरे के साथ परस्पर विरोधी हैं।इस प्रकार उत्पन्न कानूनी विरोध को एक उच्च प्राधिकारी के कार्य द्वारा हल किया जाना चाहिए, जो नियत समय में प्रतिस्पर्धी पूर्ववर्तियों के बीच निर्णय लेगा, औपचारिक रूप से उनमें से एक को रद्द कर देगा और दूसरे को अच्छे कानून के रूप में मंजूरी देगा।में

डी.

इस बीच मामला बड़े पैमाने पर बना हुआ है और कानून अनिश्चित है।

ई.

(जोर दिया गया)

25. इस संबंध में, आगे की जांच के लिए हमें यह जांच करने की आवश्यकता है कि समन्वय पीठ का निर्णय बाद की पीठ को किस हद तक बाध्य करता है।इस न्यायालय के निर्णय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैःअनुपात निर्णय और आज्ञाकारी उक्ति।अनुपात निर्णय का मूल सार है, और इसे मामले के प्रासंगिक तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।एक मामले के अनुपात और आज्ञाकारी के बीच सिद्धांत अंतर को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा स्पष्ट किया गया है

एफ.

भारत संघ बनाम धनवंती देवी, (1996) 6 एस. सी. सी. 44 में यह न्यायालय

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः9. ...यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश ने फैसला देते समय कहा हो।

जी.

यह एक मिसाल है।एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से इसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

2 न्यायशास्त्र पर सैल्मंड (पी. जे. फिट्जगेराल्ड एड।, 12 टी एडन।, 1966),पृ. 147.

एच.

ए.

निर्णय लें और उससे अनुपात को अलग करें।**...** निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है।**....**द**.**

केवल ठोस निर्णय ही पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है, लेकिन यह अमूर्त अनुपात निर्णय है, जो निर्णय के विषय-वस्तु के संबंध में निर्णय पर विचार करने पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें केवल कानून का बल होता है और जो, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या था,

बी.

बाध्यकारी है।यह केवल निर्णय में निर्धारित सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी कानून है।

(जोर दिया गया)

26. उपरोक्त सिद्धांत को लॉर्ड हेल्सबरीन क्विन बनाम लीथम, 1901 ए. सी. 495 (एच. एल.) द्वारा उपरोक्त शब्दों में संक्षिप्त रूप से कहा गया हैः... कि प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित होने के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पाई जाने वाली अभिव्यक्तियों की व्यापकता का उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ की जानी हैं।

सी.

डी.

पाया गया।दूसरा यह है कि एक मामला केवल एक प्राधिकरण है जो वास्तव में निर्णय लेता है।

(जोर दिया गया)

27. पूर्ववर्ती सिद्धांत के पहलू पर चर्चा करने के बाद, हमें एक अन्य आधार पर विचार करने की आवश्यकता है, जिस पर संदर्भ मांगा गया है, अर्थात, एक समन्वित पीठ के पहले के निर्णय पर विचार न करने की प्रासंगिकता।वर्तमान मामले में, संदर्भ की मांग करने वालों द्वारा अपनाई गई मुख्य दलीलों में से एक यह है कि संपत प्रकाश (ऊपर) के मामले में प्रेम नाथ कौल (ऊपर) के मामले में पहले के फैसले पर विचार नहीं किया गया था।

ई.

एफ.

28. प्रति इनक्यूरियम के नियम को न्यायिक पूर्ववर्ती के सिद्धांत के अपवाद के रूप में विकसित किया गया है।शाब्दिक रूप से, इसका अर्थ है किसी प्रासंगिक क़ानून या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में पारित किया गया निर्णय [देखें

यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड, 1944 KB 718 (CA)]।उपरोक्त

हेल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में निम्नलिखित नियमों को अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है।

जी.

तरीका 3:1687.... न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है यदि

इनक्यूरियम के अनुसार दिया गया।इनक्यूरियम के अनुसार निर्णय तब दिया जाता है जब न्यायालय ने पिछले निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया हो।

एच.

3 3 आरडी एडन।, खण्ड. 22, पैरा 1687, पृ. 799-800।

1133

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस।भारत का संघ और ए. एन. आर.

ए.

उसका अपना या एक समन्वित क्षेत्राधिकार के न्यायालय का जो उसके समक्ष मामले को शामिल करता है, या जब उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया है। पहले के मामले में यह

यह तय करना होगा कि किस निर्णय का पालन करना है, और बाद में यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय से बाध्य है।

(जोर दिया गया)

बी.

29. इनक्यूरियम के अनुसार दिए गए निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य के इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की राय, सात-न्यायाधीशों में

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602 का न्यायपीठ निर्णय

यह बहुत प्रासंगिकता रखता हैः183. लेकिन मुद्दा यह है कि एक निर्णय की परिस्थिति

सी.

इनक्यूरियम के अनुसार पहुँचा, केवल निर्णय को अस्वीकार करने के लिए कार्य करता है

इसके पूर्ववर्ती मूल्य से।इस तरह का निर्णय न्यायिक मिसाल के रूप में बाध्यकारी नहीं होगा। एक समन्वित पीठ इससे असहमत हो सकती है और इसका पालन करने से इनकार कर सकती है।एक बड़ी पीठ इस तरह के फैसले को रद्द कर सकती है।

जब किसी पिछले निर्णय को इस तरह से खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है- और न ही ओवररोलिंग बेंच को ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र होता है-कि पिछले निर्णय में ऑपरेटिव ऑर्डर की अंतिमता, दोनों पक्षों के बीच, पलट जाती है।इस संदर्भ में 'निर्णय' शब्द का अर्थ केवल पिछले आदेश का कारण है और पिछले निर्णय में परिचालन आदेश नहीं है।

डी.

ई.

अंतर-पक्षीय बंधन।...क्या इस तरह के निर्णय को इनक्यूरियम के अनुसार किया जा सकता है?वास्तव में, रंगनाथ मिश्रा, जे. इस मुद्दे पर यह कहते हैं:(पैरा 105)

“किसी छोटी पीठ के पहले के निर्णय की एक बड़ी पीठ द्वारा किए गए निर्णय को पलटने का उद्देश्य विशेष मामले में निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को प्रभावित किए बिना निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य को छीनना है।इसलिए अंतुले इस बात का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं कि मामला एक बड़ी पीठ के समक्ष है।”

एफ.

(जोर दिया गया)

जी.

30. संदर्भ के खिलाफ बहस करने वाले अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि प्रति इनक्यूरियम का नियम इसके अनुप्रयोग में सीमित है और प्रकृति में प्रासंगिक है।वे आगे तर्क देते हैं कि विशिष्ट विपरीत टिप्पणियों की आवश्यकता है जो इस बिंदु पर प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किए बिना रखी गई थीं, जिसमें केवल प्रति इनक्यूरियम का सिद्धांत लागू होता है।

एच.

ए.

31. इसलिए, हमारे सामने प्रासंगिक प्रश्न प्रति इनक्यूरियम के नियम के अनुप्रयोग के बारे में है।इस न्यायालय ने प्रणय सेठी मामले (उपरोक्त) का निर्णय करते समय, द्वारा दिए गए एक पूर्व निर्णय का उल्लेख किया

संदीप कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ,

(2014) 16 एस. सी. सी. 623, जिसमें इस न्यायालय ने उपरोक्त नियम की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता पर जोर दियाः

बी.

19. इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि एक पूर्ववर्ती द्वारा मांगे गए अनुशासन या प्रति इनक्यूरियम नियम के आवेदन पर किसी निर्णय की अयोग्यता या कमी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना, कानून की निश्चितता, फैसलों की स्थिरता और अदालतों की एकता एक महंगी दुर्घटना बन जाएगी।एक निर्णय या निर्णय किसी कानून, नियम या विनियमन में कोई भी प्रावधान हो सकता है, जिसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था।कोई निर्णय या

सी.

यदि किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पूर्व में घोषित निर्णय के साथ इसके अनुपात का मिलान करना संभव नहीं है; या यदि किसी उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के विचारों के अनुरूप नहीं है, तो निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार भी हो सकता है।यह तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रति इनक्यूरियम नियम अनुपात निर्णय पर सख्ती से और सही ढंग से लागू होता है न कि आज्ञाकारिता का पालन करने के लिए।

डी.

(जोर दिया गया)

ई.

32. यह विचार कि बाद के निर्णय को केवल तभी घोषित किया जाएगा जब प्रासंगिक निर्णयों के अनुपात निर्णय में कोई टकराव मौजूद हो, पांच-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा भी लिया गया था।

पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम में यह न्यायालय।लिमिटेड वी.पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़, (1990) 3 एससीसी

682:

एफ.

43. जहाँ तक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संबंध है जो कथित रूप से उनके द्वारा कवर किए गए विषयों पर एक प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान या अन्य वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में दिए गए हैं, यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय को उन विषयों पर "कानून घोषित करने" के लिए नहीं कहा जा सकता है यदि प्रासंगिक प्रावधान वास्तव में उसके दिमाग में मौजूद नहीं थे।लेकिन इस मामले में धारा 25-जी और 25-एच प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित नहीं थे और भले ही उन्हें प्रमुख आधार निर्धारित करने में आकर्षित किया गया हो, उन्हें विषय या संदर्भ के साथ लगातार व्याख्या की जानी थी।की समस्या

जी.

प्रति इनक्यूरियम निर्णय जब वास्तव में उत्पन्न होता है, तो ए प्रस्तुत करना चाहिए

एच.

1135

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि यह न्यायालय नए सिरे से कानून बना सकता है, यदि इसके पहले के दो या दो से अधिक निर्णय एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं।

(जोर दिया गया)

33. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का विश्लेषण करने के लिए कि विचाराधीन निर्णय असंगत थे, हमें संदर्भ, संबंधित मामलों के अनुपात और अनुच्छेद 370 की व्याख्या को समझने की आवश्यकता है।एक बार जब हम अनुच्छेद 370 के विकास पर ध्यान दे देते हैं, तो हम उन मामलों के संदर्भ की सराहना कर सकते हैं जिन्हें विरोधाभासी के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए।

बी.

34. संविधान के मसौदे के तहत, संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा अनुच्छेद 376 ए था, जिसे एन. गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा संविधान सभा में 17.10.1947 पर पेश किया गया था, जिन्होंने निम्नानुसार कहा था:एन. गोपालस्वामी अय्यंगार

सी.

महोदय, यह मामला, इस विशेष प्रस्ताव का मामला, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। सदन इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ है कि राज्य ने भारत अधिराज्य में विलय कर लिया है। इस परिग्रहण का इतिहास भी अच्छी तरह से जाना जाता है।यह विलय 26 अक्टूबर, 1947 को हुआ था।तब से राज्य का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है।अभी हालात सामान्य नहीं हैं।

डी.

राज्य।इस विलय का अर्थ यह है कि वर्तमान में वह राज्य एक संघीय राज्य, अर्थात् भारत अधिराज्य की एक इकाई है।यह डोमिनियन एक गणराज्य में परिवर्तित हो रहा है, जिसका उद्घाटन **26** जनवरी, **1950** को किया जाएगा।इसलिए, जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के नए गणराज्य की एक इकाई बनना होगा।

ई.

एफ.

...

अंतिम खंड यह संदर्भित करता है कि बाद में क्या हो सकता है।हमने कहा है कि अनुच्छेद 211 ए जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा।लेकिन यह राज्य के संविधान की स्थायी विशेषता नहीं हो सकती है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।अतः यह

प्रावधान किया गया है कि जब राज्य की संविधान सभा ने राज्य के लिए संविधान और राज्य पर संघीय अधिकारिता की सीमा दोनों पर बैठक की और अपना निर्णय लिया, तो राष्ट्रपति उस संविधान सभा की सिफारिश पर एक आदेश जारी कर सकता है कि यह अनुच्छेद **305** क या तो समाप्त हो जाएगा।

जी.

एच.

1136 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एस. सी. आर.

ए.

कार्यात्मक, या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन कार्यात्मक होगा जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।लेकिन इससे पहले कि वह किसी भी प्रकार का आदेश जारी करें, संविधान सभा की सिफारिश एक शर्त होगी।यही इस पूरे लेख की व्याख्या करता है।

बी.

इस अनुच्छेद का प्रभाव यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य, जो अब भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा बना रहेगा, भारत के भावी संघीय गणराज्य की एक इकाई होगी और संघ विधानमंडल को विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों पर या बाद में राज्य सरकार की सहमति से कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र मिलेगा।और नियत समय में एक संविधान सभा बुलाने के उद्देश्य से कदम उठाए जाने चाहिए जो उन मामलों पर गौर करेगी जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।जब एक आ गया

सी.

विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने से राष्ट्रपति को एक सिफारिश की जा सकती है जो या तो अनुच्छेद **307** क को निरस्त कर देगा या निर्देश देगा कि यह संविधान के रूप में ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा।

डी.

सभा सिफारिश कर सकती है।महोदय**,** यह इस अनुच्छेद के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण है**,** और मुझे आशा है कि सदन इसे जारी रखेगा।

(जोर दिया गया)

ई.

35. उपरोक्त टिप्पणियों के अनुरूप, संविधान आदेश 44 को संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत प्रख्यापित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 370 के खंड 1 में स्पष्टीकरण में निम्नलिखित शब्दों में संशोधन करके संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया थाः

एफ.

“स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है उस व्यक्ति को जिसे राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है जो उस समय पद पर है।

जी.

36. इसके अलावा, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 जारी किया, जिसने ए में संशोधन के माध्यम से बदलाव लाया।

एच.

अनुच्छेद 367 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।उपरोक्त संशोधन को निम्नानुसार देखा जा सकता हैः

“((क) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, का अर्थ जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में किया जाएगा;

बी.

(ख) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं:

सी.

बशर्ते कि 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में, ऐसे संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें सदर-ए-रियासत के संदर्भ शामिल हैं जो उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं।"

डी.

1965 के उपरोक्त संशोधन आदेश को मोहम्मद में बरकरार रखा गया था।

मकबूल दमनो मामला (ऊपर)।

37. संविधान सभा की बहसों और संविधान के आने के बाद के घटनाक्रमों की ओर इशारा करने के बाद, हमें अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामलों को देखने की आवश्यकता है, जिन्होंने उनके अनुसार उपरोक्त प्रावधान की विरोधाभासी तरीके से व्याख्या की है।38. पहला मामला जिस पर गौर करने की आवश्यकता है वह प्रेम नाथ कौल मामला (उपरोक्त) है जो जम्मू और कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट (उन्मूलन) अधिनियम, 2007 (2007 का 17 एस. एम. वी. टी.) की वैधता से संबंधित है।जिस मुख्य तर्क पर अधिनियम का विरोध किया गया था, वह यह था कि युवराज के पास उक्त अधिनियम को जारी करने का संवैधानिक अधिकार नहीं था। उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रचार की गई दलीलों में से एक युवराज की शक्तियों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रभाव से संबंधित थी।संविधान पीठ ने यह निर्णय लेते हुए कि यह अभिनिर्धारित करना अनुचित होगा कि अनुच्छेद 370 महाराजा की पूर्ण शक्तियों को प्रभावित कर सकता था, या प्रभावित करने का इरादा था, संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं, जिन पर हमारे समक्ष एक संदर्भ के लिए बहस करने वाले अधिवक्ता ने भरोसा किया है।इसलिए अनुच्छेद 370 के संबंध में प्रेम नाथ कौल मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ की टिप्पणियों को पूरी तरह से दोहराया जाना चाहिए:

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

32. चूँकि श्री चटर्जी ने अपने इस तर्क के समर्थन में राज्य में संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने पर दृढ़ता से भरोसा किया है कि युवराज ने पूर्ण विधायी शक्तियों को धारण करना बंद कर दिया था, इसलिए इस अनुच्छेद के प्रावधानों और उनके प्रभाव की जांच करना आवश्यक है।इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान करना था।वह इस प्रकार हैः

बी.

XXX

इस अनुच्छेद का खंड (1) (बी) राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है और यह उस संबंध में सीमा निर्धारित करता है।खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (1) के तहत संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है, जिसे राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित करता है, जबकि उक्त सूचियों के अन्य मामलों के संबंध में संसद को पैरा (2) के तहत ऐसे अन्य मामलों को राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश द्वारा राज्य सरकार की सहमति से निर्दिष्ट किए जाने के बाद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति हो सकती है।यह महत्वपूर्ण है कि पैरा (i) राज्य सरकार के साथ परामर्श को संदर्भित करता है जबकि पैरा (ii) के लिए उसकी सहमति की आवश्यकता होती है।इस प्रकार राज्य सरकार के साथ परामर्श और सहमति प्रदान करने के बाद, स्पष्टीकरण से पता चलता है कि इस संदर्भ में राज्य सरकार का क्या अर्थ है।इसका अर्थ है कि अपीलार्थी के अनुसार, महाराजा अपने विवेक से कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति द्वारा महाराजा के रूप में मान्यता दी गई है, जो उस समय पद पर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।यह इस स्पष्टीकरण पर है कि अपीलार्थी ने काफी निर्भरता रखी है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

33. अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (ग) और (घ) में क्रमशः यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 1 और वर्तमान अनुच्छेद के प्रावधान राज्य के संबंध में लागू होंगे और संविधान के अन्य प्रावधान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए इसके संबंध में लागू होंगे।इसी तरह ये प्रावधान क्रमशः राज्य सरकार के साथ परामर्श या सहमति

के अधीन हैं।34. संसद की विधायी शक्ति और राज्य के संविधान के अनुच्छेदों को लागू करने के लिए प्रावधान करने के बाद, ए

जी.

एच.

1139

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

अनुच्छेद 370 खंड (2) में यह विहित किया गया है कि यदि खंड (1) के सुसंगत उपखंडों द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की सहमति कश्मीर की संविधान सभा के आहूत किए जाने से पहले दी गई है, तो ऐसी सहमति को ऐसे निर्णय के लिए ऐसी सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले।

यह खंड दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा के अंतिम निर्णय को बहुत महत्व दिया है और अनुच्छेद **370 (1)** के प्रासंगिक अस्थायी प्रावधानों द्वारा संसद और राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को जारी रखने की शर्त उक्त मामलों में उक्त संविधान सभा द्वारा अंतिम अनुमोदन पर लगाई गई है।

बी.

सी.

35. खंड (3) राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा करने के लिए अधिकृत करता है कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल निर्दिष्ट अपवादों या संशोधनों के साथ लागू होगा; लेकिन इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य की संविधान सभा उस संबंध में सिफारिश करे।इस प्रकार

डी.

खंड **(3)** का परंतुक उस महत्व पर भी जोर देता है जो अनुच्छेद **370** द्वारा कवर किए गए प्रासंगिक मामलों के संबंध में कश्मीर की संविधान सभा के अंतिम निर्णय से जुड़ा था।

(जोर दिया गया)

ई.

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी और श्री संजय पारिख ने न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि संविधान सभा की बहसों में की गई टिप्पणियों के अनुरूप उपरोक्त बयानों का निहितार्थ यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत शक्ति का प्रयोग जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा के

अस्तित्व पर निर्भर था, क्योंकि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामलों पर संविधान सभा का "अंतिम निर्णय" था।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, जब जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के बाद राज्य की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, तो अनुच्छेद 370 का अनुप्रयोग स्वचालित रूप से समाप्त हो गया, और संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत उस प्रभाव की कोई घोषणा किए बिना भी इसका कोई और सहारा लेना संभव नहीं था।

एफ.

जी.

40. प्रेम नाथ कौल मामले **(**ऊपर**)** में निर्णय की इस व्याख्या पर**,** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि एक संघर्ष मौजूद है

एच.

ए.

संपत प्रकाश मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ के आदेश के साथ। संपत प्रकाश मामले (ऊपर) में, इस अदालत को 1964 के जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम 13 के तहत उस मामले में याचिकाकर्ता की नजरबंदी से संबंधित मामले को जब्त कर लिया गया था।संविधान पीठ के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 35 (सी) (जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है) की निरंतरता, जो 1959 और 1964 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए क्रमिक संविधान आदेशों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में निवारक निरोध से संबंधित किसी भी कानून को संरक्षण देती है, वैध थी।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश वैध रूप से पारित किए गए थे, जो संविधान सभा के विघटन की तारीख के बाद भी जारी रहे।इस संबंध में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

बी.

सी.

5. हम श्री राममूर्ति द्वारा दिए गए इन दो तर्कों में से किसी से भी प्रभावित नहीं हैं।जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संबंध है, सरकार की ओर से उपस्थित अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात का आग्रह करने के लिए उस पर भरोसा किया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को जारी रखा

जाना चाहिए, क्योंकि जब इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था तब जो स्थिति मौजूद थी, वह भौतिक रूप से नहीं बदली थी, और इस अनुच्छेद को पेश करने का उद्देश्य राष्ट्रपति को भारतीय संविधान को लागू करने में अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देना था, जबकि वह स्थिति अपरिवर्तित रही।इस समर्पण में काफी बल है।विधायी

डी.

ई.

इन परिस्थितियों में इस अनुच्छेद का इतिहास यह अभिनिर्धारित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता कि राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए संविधान तैयार करने के बाद यह अनुच्छेद अप्रभावी हो गया।

एफ.

6. अनुच्छेद 370 के खंड (2) पर आधारित दूसरी प्रस्तुति को उस खंड की भाषा से भी समर्थन नहीं मिलता है जो केवल संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति को संदर्भित करता है, और संविधान सभा के कार्य के पूरा होने या इसके विघटन का कोई उल्लेख नहीं करता है।

जी.

7. हालाँकि**,** यह मानने के लिए बहुत अधिक मजबूत कारण हैं कि इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू रहे और राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के संविधान को पारित करने के बाद भी प्रभावी रहे।सबसे अधिक ए

एच.

1141

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान वह है जो उस अनुच्छेद के खंड (3) में निहित है जो यह निर्धारित करता है कि यह अनुच्छेद प्रभावी नहीं रहेगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, बशर्ते कि खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले आवश्यक होगी।इस खंड में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि यह अनुच्छेद जारी रहेगा और केवल तभी प्रभावी नहीं रह सकता है जब राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस आशय का निर्देश दे।वास्तव में, राज्य की संविधान सभा द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी, न ही राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश दिया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।इसके विपरीत,

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की संविधान सभा ने एक सिफारिश की थी कि अनुच्छेद को अनुच्छेद के खंड (1) के स्पष्टीकरण में शामिल किए जाने वाले एक संशोधन के साथ प्रभावी होना चाहिए।अनुच्छेद में इस संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा विधि आदेश मंत्रालय सी. ओ. 44 द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 1952 को अधिसूचित किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि 17 नवंबर, 1952 से, लेख को पुराने स्पष्टीकरण के लिए नए स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन के साथ लागू किया जाना था जो उस समय मौजूद था।इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की संविधान सभा यह नहीं चाहती थी कि यह अनुच्छेद बंद हो जाए और वास्तव में, इस अनुच्छेद के निरंतर संचालन के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह सिफारिश की कि यह केवल इस संशोधन के साथ ही लागू होना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

एफ.

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आग्रह करते हैं कि इस न्यायालय की संविधान पीठों के ये दो निर्णय एक दूसरे के साथ सीधे टकराव में हैं, और इस प्रकार, वर्तमान याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है।हालाँकि, हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं।

जी.

42. सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णयों की व्याख्या उनके तथ्यों और संदर्भ से अलग, निर्वात में नहीं की जा सकती है।किसी निर्णय में किए गए अवलोकनों को एक विशेष अर्थ देने के लिए चुनिंदा रूप से नहीं चुना जा सकता है।प्रेम नाथ कौल मामले (उपरोक्त) में न्यायालय को एक विशेष अधिनियम पारित करने में युवराज की विधायी क्षमता निर्धारित करनी थी।अधिनियम के दौरान पारित किया गया था

एच.

ए.

जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के निर्माण से पहले, लेकिन भारत के संविधान के लागू होने के बाद की अवधि।जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा के निर्णय को दिए गए महत्व के बारे में इस मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को इन तथ्यों के आलोक में पढ़ने की आवश्यकता है।

बी.

43. दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (2) का ढांचा ऐसा था कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो एक निर्वाचित निकाय नहीं था, बल्कि राज्य के महाराजा द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो राज्य की संविधान सभा की बैठक से पहले 5 मार्च, 1948 को महाराजा की घोषणा के आधार पर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा था, को संविधान सभा के समक्ष रखा जाना था, ताकि संविधान के अनुच्छेद 370 (2) के तहत दिए गए निर्णय के लिए।इसके लिए तर्क स्पष्ट है, क्योंकि संविधान सभा का कार्य भारत संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों के दायरे और दायरे को और स्पष्ट करना था, जिस पर अनुच्छेद 370 के तहत परिभाषित राज्य सरकार ने संविधान सभा के आयोजन से पहले ही कुछ निर्णय ले लिए होंगे, जिससे संविधान सभा अंततः सहमत नहीं होगी।इसलिए, प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) के मामले में अदालत ने संकेत दिया कि अनुच्छेद 370 (2) के तहत संविधान सभा का निर्णय अंतिम था।इस अंतिमता को अनुच्छेद 370 (2) की भाषा के अनुरूप, राज्य की संविधान सभा के आयोजन से पहले अनुच्छेद 370 के तहत राज्य सरकार द्वारा लिए गए उन निर्णयों तक सीमित होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

44. तीसरा, प्रेम नाथ कौल मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 के संचालन को जारी रखने या समाप्त करने पर चर्चा नहीं की।यह अदालत के समक्ष विचाराधीन मुद्दा नहीं था, जैसा कि संपत प्रकाश मामले (उपरोक्त) में था, जहां विवाद विशेष रूप से पहले किया गया था, और अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था।यह न्यायालय प्रेम नाथ कौल मामले (उपर्युक्त) में ऐसी व्याख्या को पढ़ने का कोई कारण नहीं देखता है जिसके परिणामस्वरूप यह इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के साथ टकराव में हो, विशेष रूप से जब निर्णय के एक सामान्य अध्ययन के परिणामस्वरूप ऐसी व्याख्या नहीं होती है।

एफ.

जी.

45. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि प्रेम नाथ कौल मामले (उपरोक्त) और ए के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है।

एच.

1143

डॉ. शाह फैजल और ओआरएस बनामभारत का संघ और ए. एन. आर.

संपत प्रकाश मामला (ऊपर)।इसलिए इस आधार पर वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी जाती है।46. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रचारित एक अतिरिक्त आधार यह है कि प्रेम नाथ कौल मामले (ऊपर) में अदालत के फैसले पर अदालत ने संपत प्रकाश मामले (ऊपर) में अपने बाद के फैसले में विचार नहीं किया था, जो इसलिए अनुचित है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान देते हैं कि प्रति इनक्यूरियम का नियम पूर्ववर्ती के सिद्धांत के लिए एक अपवाद होने के कारण केवल निर्णय के अनुपात पर लागू होता है।जब दो समन्वित पीठों की राय के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है, तो कानूनी उदाहरणों की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले उसी को संयम से लागू किया जाना चाहिए।हालाँकि, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, संपत प्रकाश मामले (ऊपर) में प्रेम नाथ कौल (ऊपर) के मामले के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

बी.

सी.

संपत प्रकाश (ऊपर) इनक्यूरियम के अनुसार नहीं है।

47. उपरोक्त चर्चा के आलोक में**,** हम इन याचिकाओं को विचार किए गए प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

डी.

दिव्या पांडे

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.